नगर निगम, जयपुर

एम्पावर्ड कमेटी प्रशासन शहरों के संग 2012 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 21.03.2013 को 4:00 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल — महापौर — अध्यक्ष।
2. श्री जगरूप सिंह यादव — मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य सचिव।
3. श्री सतीश कुमार शर्मा — वरिष्ठ नगर नियोजक प्रभार अति0 मुख्य नगर नियोजक — सदस्य।
4. श्री आर. के. पालीवाल — मुख्य अभियन्ता — सदस्य।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भू. सं./योजना का नाम	प्रकरण का प्रकार (उपविभाजन/पुनर्गठन/आवासीय निर्माण स्वीकृति/ व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति/अन्य)	प्रकरण पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	श्रीमती सीता देवी शर्मा श्री चन्द्र शेखर शर्मा, श्री पवन कुमार शर्मा	ई–66, बनीपार्क विस्तार, जयपुर	आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति अनुमोदित की जाती है। 2. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. बावत् नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
2	सुरेश शर्मा	ए–9, सैन कॉलोनी, पावर हाउस रोड, बनीपार्क, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार उपविभाजन स्वीकृत किया जाता है। 2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।
3	1. राजपाल सरण 2. श्री अनामी सरण कपूर	एफ–24, बनीपार्क, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स व मूल भूखण्ड के पैरामीटर्स को यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन अनुमोदित किया जाता है। 2. भूखण्ड की चौडाई में जो 0'–3" भूमि कम आ रही है उसे जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के कम में नजर अंदाज किये जाने का निर्णय लिया गया व भूखण्ड की चौडाई 60'–0" मानते हुए अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. सडक की चौडाई को 40'–0" किये जाने हेतु आवेदक से 0'–6"x 60'–0" फीट भूमि समर्पित कराई जायें। 4. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।
4	श्री संजय शर्मा, श्री सुनील शर्मा व श्री संदीप शर्मा	एफ–52, बनीपार्क, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स व मूल भूखण्ड के पैरामीटर्स को यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन अनुमोदित किया जाता है। 2. सडक को 40–0" चौडा किये जाने हेतु 0'–3"x 37'–6" = 1. 04 वर्ग गज भूमि समर्पित करवाई जायें। 3. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु संख्या 1 के

				अनुसार फ्रन्ट सैट बैक में निर्माण बावत् आवेदक से सबूत/प्रमाणित दस्तावेज मांगे जाए कि उक्त निर्माण 10 वर्ष पूर्व का है व इस निर्माण को उपविभाजन किये जाने से नियमन नहीं माना जाएगा इस आशय का शपथ पत्र लिया जाए। 4. साईड व पीछे के सैट बैक में निर्मित निर्माण बावत् राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के संदर्भ में इस आशय का आवेदक से शपथ पत्र लिया जाए कि उक्त उपविभाजन किये जाने से सैट बैक में किये गये निर्माण को नियमन नहीं माना जायेगा। 5. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।
5	श्री अजय सिन्हा, श्री विजय सिन्हा व अन्य	डी–128, बनीपार्क योजना, जयपुर	आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार प्रस्तावित आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति अनुमोदित की जाती है। 2. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. बावत् नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र जारी किये जायें।
6	श्री सहजा सिंह चावला पुत्र स्व. श्री भगत सिंह चावला	185–186, नाहरी का नाका पूर्व, जयपुर	दुकान संख्या 185–186, नाहरी का नाका पूर्व जयपुर की निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. प्रकरण में पहले पुर्नगठन हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। तत्पश्चात् प्रकरण का स्वीकृति व नियमबद्ध बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7	श्री नवीन गुप्ता पुत्र स्व0 श्री राधाकिशन गुप्ता	बी–131, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत्। (आवासीय)	1. प्रस्तावित उपविभाजन को एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। 2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
8	श्रीमती शालिनी जैन	790, आदर्श नगर, जयपुर	आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा मे वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार बी+एस+जी+3 मंजिल की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. मानक एफ.ए.आर. से अधिक प्रस्तावित अधिक एफ.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावें। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
9	श्रीमती पुष्पा कंवर	ए–9 व ए–10, अम्बाबाडी, योजना जयपुर	बहुमंजिला आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स एल बी.+यू.बी.+एस.+12 तल 40.00 मीटर ऊँचाई के अनुमोदित किये जाते है। 2. कार्नर पर 20'–0" दिये जाने हेतु आवेदक से 7.98 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क समर्पित कराई जायें। 3. पार्किंग हेतु एजेण्डा में वर्णित अनुसार आवेदक व वास्तुविद से शपथ पत्र लिया जायें। 4. आवेदक से दोनों भूखण्डों पर पुर्नगठन शुल्क व बी.एस.यू.पी शुल्क लिया जायें। 5. मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर. होने पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 6. भवन की ऊँचाई 30.00 मीटर से अधिक होने के कारण राज्य

				सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् व भारतीय उड्यन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें। 7. भवन की उँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर की अनापत्ति प्राप्त की जायें। 8. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् व राज्य सरकार से स्वीकृति आने के पश्चात् व फायर व नागरिक उड्यन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
वरिष्ठ नगर नियोजक
प्रभार अति० मु० नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

क्रमांक :– एफ 13 ( ) व. न. नियो./जननि./2013/ 635

दिनांक:– 8/4/13

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, मा. महापौर महोदया, नगर निगम, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
3. अति0 मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
5. संबंधित आयुक्त, ... जोन, नगर निगम, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर